न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय/32/2018

1. मुलतानमल पुत्र गणेशमलजी
2. पारसमल पुत्र गणेशमलजी
3. शांतिलाल पुत्र गणेशमलजी
4. रमेशकुमार पुत्र गणेशमलजी
5. भरतकुमार पुत्र मुलतानमलजी

जातिगण जैन निवासीगण ढ़ोला तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज)

..... **अपीलार्थी**

ब ना म

1. चम्पकलाल उर्फ चम्पालाल पुत्र गणेशमलजी उम्र 71 वर्ष जाति जैन निवासी ढ़ोला तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
2. तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

..... **रेस्पोडेण्ट्स**

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री महावीरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक :** 01/04/2021

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टिनेंसी एक्ट के तहत् उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 5/2012 में दिनांक 26.05.2017 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की है, जिसे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।
2. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलाण्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि ग्राम ढ़ोला जागीर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 52 से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

55 व 62 रकबा हैक्टेयर कृषि भूमि पक्षकारन के संयुक्त खातेदारी की स्थित है। जिसका बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जावें एवं वादी रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावें। जिसका जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अपीलाण्ट की ओर से पेश किया गया था कि वादी रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 17.07.1965 को एक लिखत के रुप में फारगती निष्पादित की थी कि उपरोक्त भूमि में कोई हक, हिस्सा लेकर पूर्व में ही अलग हो चुका था। उपरोक्त वाद वादी रेस्पोडेण्ट के जवाबुल जवाब के लिए नियत था, साथ ही आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी के आवेदन के जवाब के लिए नियत थी, फिर अचानक पेशी दिनांक 17.03.2017 को बिना किसी आदेश के आरआई एवं पटवारी द्वारा बंटवाडा रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी पेश होना बताकर सीधे ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित कर दिये, न तो काउन्टर क्लेम का जवाबदावा पेश हुआ, न ही तनकीयात कायम की गई, न ही प्राथमिक डिक्री जारी गई और सीधे ही अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो अवैध है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार की जावें।

3. रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

4. दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अनुशील किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाबदावा पेश किया जाना शेष था, साथ ही आदेश 11 नियम 12 सीपीसी का आवेदन भी लम्बित था, प्रकरण में तनकीयात भी कायम नहीं की गई थी, दोनों पक्षों की साक्ष्य नहीं ली गई थी, इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाए ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किये गये थे, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (REMAND)किया जाता है दोनो पक्षो को जवाब, साक्ष्य, सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर पुनः प्रकरण विधिवत सुनवाई करते हुए पुनः तथा पालना से इस न्यायायल को अवगत करावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 01/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली